सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 257/प्रा0पत्र/2023 **दायरा दिनांक :–04.12.2023**

GCMS ID–2023/283

उनवान

1. कजोडी देवी पत्नी मोहनलाल जाति कहार निवासी हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. गजानन्द शर्मा आ0 गोविन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी शिवराज नगर, हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी संख्या 1 :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

आदेश

दिनांक :– 21.04.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खाता संख्या 51 खसरा संख्या 81 रकबा 0.7932 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर वाके ग्राम हनुमान जी का झोपडा पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीया उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के पश्चिमी दिशा में महादेवजी का मन्दिर है तथा मन्दिर के पास ही सिवायचक भूमि विस्थित है, अप्रार्थी उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जा कर काश्त कर रहा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के मन में आत्मगलानी आ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 धीरे–धीरे उक्त सिवायचक भूमि की आड में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की पश्चिमी दिशा की करीब 2 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहा है, तथा प्रार्थीया की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करता है, जबकि अप्रार्थी की वहा पर कोई खाते

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की भूमि नहीं है, फिर भी अप्रार्थी अपनी कब्जे काश्त की भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थीया की भूमियों को अपनी भूमि बताकर प्रार्थीया की करीब 2 बीघा जमीन को हडपना चाहता है, तब प्रार्थीया ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 13/23 भू0अ0दिनांक 15.05.2023 की पालना में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 81 का सीमाज्ञान करने हेतु हल्का पटवारी एवं अन्य ग्रामवासिया मौके पर गये तथा मौके पर खसरा संख्या 78 गे0मु0चाह से जरिब चलाकर प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया से कहा कि आप अपनी भूमि का समक्ष न्यायालय से वाद दावा कर कब्जा प्राप्त कर सकती है, इसलिए प्रार्थीया श्रीमान के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम हनुमान जी का झौपडा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवावे। प्रार्थीया पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की भूमि खाता संख्या 51 खसरा संख्या 81 रकबा 0.7932 हैक्टेयर वाके ग्राम हनुमान जी का झोपडा तह0 हिण्डोली की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अनय न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी नम्बर 1 ने जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी होना स्वीकार है। चरण संख्या 2 में अंकित भूमि महादेव मंदिर की भूमि है। उक्त मंदिर सिवायचक भूमि पर है मंदिर के आसपास की भूमि ढोहली के रूप में काम आ रही हे। जिस पर काश्त कर प्राप्त होने वाली आय से मंदिर की सेवा पूजा व अन्य खर्चे किए जाते है। मंदिर की सेवा पूजा रजिस्टर्ड संस्था द्वारा की जा रही है। उक्त भूमि को मंदिर समिति ने काफी पैसा लगाकर फाडकर आबाद किया है भूमि की फसल सुरक्षा हेतु चारों तरफ तारफेसिंग कर बोरिंग करवा रखा है व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त भूमि खसरा परिवर्तनशील में मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होने से पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान् को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमि प्रार्थीया खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया की भूमि के पास ही सिवायचक भूमि पर महादेव जी का मंदिर है। उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जे काश्त की आड में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से 2 बीघा भूमि पर अपना हक जताकर कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आये दिन प्रार्थीया की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करता रहता है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थीया के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी होना स्वीकार है। चरण संख्या 2 में अंकित भूमि महादेव मंदिर की भूमि है। उक्त मंदिर सिवायचक भूमि पर है मंदिर के आसपास की भूमि ढोहली के रूप में काम आ रही हे। जिस पर काश्त कर प्राप्त होने वाली आय से मंदिर की सेवा पूजा व अन्य खर्चे किए जाते है। मंदिर की सेवा पूजा रजिस्टर्ड संस्था द्वारा की जा रही है। उक्त भूमि को मंदिर समिति ने काफी पैसा लगाकर फाडकर आबाद किया है भूमि की फसल सुरक्षा हेतु चारों तरफ तारफेसिंग कर बोरिंग करवा रखा है व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त भूमि खसरा परिवर्तनशील में मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होने से पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में केवल विवादित भूमि की सीमा को तय किया जा सकता है तथा कब्जा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। हमें केवल हमारी भूमियों की सीमाओं का पता करने हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हनुमान जी का झौपडा पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 37 के अनुसार प्रार्थीया कजोडी देवी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 81 रकबा 0.7932 हैक्टेयर वाके ग्राम हनुमान जी का झौपडा पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446